भारत सरकार
विदेश मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 877

दिनांक 07.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

कतर की जेलों में बंद भारतीय

877. **श्री ई. टी. मोहम्मद बशीरः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है की फीफा विश्व कप के बाद बड़ी संख्या में भारतीय, विशेषकर केरल के लोग कतर की जेलों की बंद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उनकी रिहाई और भारत वापस लौटने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ग) आज की तारीख के अनुसार विभिन्न देशों की जेलों में बंद भारतीयों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कतर की जेलों में विचाराधीन कैदियों सहित भारतीय कैदियों की संख्या 611 है। तथापि, सख्त गोपनीयता कानूनों के कारण, कतर सरकार कैदियों के बारे में जानकारी तब तक साझा नहीं करती है जब तक कि संबंधित व्यक्ति ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण के लिए सहमति न दे। इसलिए, भारतीय कैदियों का राज्यवार डेटा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, सरकार ने विश्व कप के बाद कतर की जेलों में भारतीय कैदियों की संख्या में कोई असामान्य वृद्धि नहीं देखी है।

(ख) सरकार विदेशी जेलों में बंद भारतीयों सहित विदेशों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को उच्च प्राथमिकता देती है। विदेश स्थित भारतीय मिशन/केंद्र सतर्क रहते हैं और स्थानीय कानूनों के उल्लंघन/कथित उल्लंघन के लिए विदेशों में भारतीय नागरिकों को जेल में डाले जाने की घटनाओं पर बारीकी से नजर रखते हैं।

भारतीय मिशन/केंद्र को किसी भारतीय नागरिक की हिरासत/गिरफ्तारी की सूचना मिलने पर, वे हिरासत में लिए गए/गिरफ्तार भारतीय नागरिक को कोंसली सहायता प्रदान करने के लिए तुरंत स्थानीय विदेश कार्यालय और अन्य संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों से संपर्क करते हैं ताकि मामले के तथ्यों का पता

लगाया जा सके, उसकी भारतीय राष्ट्रीयता की पुष्टि की जा सके और उसका कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। मिशन/केंद्र यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहते हैं कि विदेशी जेलों में बंद भारतीय कैदियों के अधिकारों की रक्षा की जाए।

विदेशों में कैद भारतीयों को हर संभव कोंसली सहायता प्रदान करने के अलावा, भारतीय मिशन एवं केंद्र आवश्यक्तानुसार कानूनी सहायता भी प्रदान करते हैं। जहाँ भारतीय समुदाय पर्याप्त संख्या में है वहाँ मिशन और केंद्र उन वकीलों का एक स्थानीय पैनल भी रखते हैं । संबंधित भारतीय दूतावास द्वारा सुविधाएँ प्रदान करने के लिए किसी भी भारतीय कैदी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। विदेश स्थित भारतीय मिशनों एवं केंद्रों में भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडबल्यूएफ़) की स्थापना की गई है, ताकि योग्य मामलों में संकट की स्थिति में फंसे प्रवासी भारतीय नागरिकों की सहायता की जा सके। आईसीडबल्यूएफ़ के तहत दी जाने वाली सहायता में कानूनी सहायता के साथ-साथ प्रत्यावर्तन के दौरान यात्रा दस्तावेज़/हवाई टिकट के लिए भारतीय कैदियों को वित्तीय सहायता शामिल है।

विदेशी जेलों में कैद भारतीय नागरिकों की रिहाई और देश वापसी के मुद्दे पर विदेश स्थित भारतीय मिशन और केन्द्र स्थानीय प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से चर्चा करते हैं। विदेश स्थित मिशन/केन्द्र जल्द से जल्द जांच और न्यायिक कार्यवाही पूरी करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों से भी संपर्क करते हैं। सरकार अन्य देशों के साथ कोंसली एवं अन्य परामर्शों के दौरान भी इस मुद्दे पर चर्चा करती है। इसके अलावा, सरकार विदेश स्थित अपने मिशन/केन्द्रों और उच्च स्तरीय यात्राओं के माध्यम से विदेशों में भारतीय कैदियों की सजा में माफी/उसे कम करने के लिए भी प्रयास करती है। भारत ने कई देशों के साथ कैदी स्थानांतरण संधियाँ भी की हैं, जो किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को जेल की सजा काटने के लिए उसके गृह देश में स्थानांतरित करने की अनुमति देती हैं।

(ग) मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्तमान में विदेशी जेलों में विचाराधीन कैदियों सहित भारतीय कैदियों की संख्या 10,152 है। इसकी देशवार सूची अनुबंध में दी गई है।

*****

अनुबंध

क्र. सं.	**देश**	**वर्तमान में विदेशी जेलों में विचाराधीन और दोषी करार दिए गए भारतीयों की कुल संख्या**
1	अफगानिस्तान	8
2	अंगोला	2
3	अर्जेंटीना	1
4	आर्मेनिया	39
5	ऑस्ट्रेलिया	27
6	अज़रबैजान	10
7	बहरीन	181
8	बांग्लादेश	4
9	बेलारूस	9
10	बेल्जियम	1
11	भूटान	69
12	ब्रूनेइ्र दारुस्सलाम	6
13	कंबोडिया	22
14	कनाडा	23
15	चिली	1
16	चीन	173
17	कांगो	5
18	कोत दी आइवर	14
19	क्रोएशिया	3
20	क्यूबा	2
21	साइप्रस	21
22	डेनमार्क	1
23	मिस्र	1
24	इथियोपिया	4
25	फ्रांस	45
26	जॉर्जिया	45
27	जर्मनी	25
28	ग्वाटेमाला	2
29	गिनी	2
30	इंडोनेशिया	21
31	ईरान	18
32	इराक	1
33	आयरलैंड	5
34	इजराइल	4
35	इटली	168
36	जमैका	1

37	जापान	6
38	जॉर्डन	28
39	कजाखस्तान	3
40	केन्या	4
41	कुवैत	387
42	किर्गिज़स्तान	4
43	लाओस	6
44	लेबानान	2
45	लिथुआनिया	1
46	मेडागास्कर	1
47	मलावी	1
48	मलेशिया	338
49	मालदीव	10
50	माली	1
51	माल्टा	5
52	मॉरीशस	10
53	मेक्सिको	1
54	मोरक्को	2
55	मोज़ाम्बिक	5
56	म्यांमार	27
57	नेपाल	1317
58	नाइजीरिया	3
59	उत्तर मैसेडोनिया	5
60	ओमान	148
61	पाकिस्तान	266
62	फिलिपींस	44
63	पोलैंड	7
64	कतर	611
65	कोरिया गणराज्य	4
66	रूस	27
67	रवांडा	3
68	सऊदी अरब	2633
69	सेनेगल	5
70	सर्बिया	4
71	सिंगापुर	92
72	दक्षिण अफ्रीका	8
73	स्पेन	34
74	श्रीलंका	98
75	स्विट्ज़रलैंड	1
76	तजाकिस्तान	1

77	थाईलैंड	37
78	त्रिनिदाद और टोबैगो	1
79	तुर्किये	3
80	संयुक्त अरब अमीरात	2518
81	युगांडा	11
82	यूनाइटेड किंगडम	288
83	यूएसए	169
84	उज़्बेकिस्तान	3
85	वियतनाम	4
86	ज़िम्बाब्वे	1
		10152

*****